



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35616

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6319/2026

श्रीमती रेखा देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : हरीश कांत तिवारी, शरद कुमार पटेल

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., श्री कांत केशरवनी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्तों को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के मद्देनज़र, प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रतिवादी(ओं) इस आदेश से व्यथित हैं, तो उन्हें रिकॉल आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता है।
3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील करछना, जिला प्रयागराज को निर्देश दिया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत दायर मामला संख्या 9443/2023 (कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या टी202302030509443) (श्रीमती रेखा देवी बनाम सुरेश चंद्र और अन्य) का निपटारा करें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील करछना, जिला प्रयागराज, उपर्युक्त मामले का निपटारा पूर्णतः कानून के अनुरूप करें; किंतु ऐसा करने से पूर्व, संबंधित सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

17 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”